



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 1137 / फा०सं०-1400 / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / 2020-21 लखनऊ

दिनांक: 17 अक्टूबर, 2020

// कार्यालय-ज्ञाप //

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अधिनियम, 2009 की धारा-5 (दो) में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में मा० विद्या परिषद से संस्तुत एवं मा० कार्य परिषद से अनुमोदित सम्बद्धता नियमावली पर मा० सामान्य परिषद की 6वीं बैठक दिनांक: 20 अगस्त, 2019 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बद्धता नियमावली, 2018 में संशोधन किया गया।

उक्त संशोधित सम्बद्धता नियमावली, 2018 को मा० कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक: 25 जून, 2020 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिन्दु संख्या-17/29 में विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-32 में दी गई व्यवस्थानुसार सम्बद्धता नियमावली, 2018 पर मा० सामान्य परिषद की 6वीं बैठक दिनांक: 20 अगस्त, 2019 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की तिथि से प्रख्यापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः मा० कार्य परिषद की 29वीं में लिए गये निर्णय के अनुपालन में डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय सम्बद्धता नियमावली, 2018 प्रख्यापित किया जाता है, उक्त नियमावली 20 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त समझा जाय।

संलग्न- सम्बद्धता नियमावली।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उ० प्र० शासन।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
- ✓ 4. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव